

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, हिसार, झज्जर रोहतक, सिरसा, पंचकूला तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में उन्नत समग्र किस्मों में जौ के प्रदर्शन प्लॉट पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (25-12-2023) तक कर सकते हैं।

उन्नत समग्र किस्मों में जौ के प्रदर्शन प्लॉट पर ₹0 2400/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Demonstrations on improved packages-Barley**

<b>District Wise Physical &amp; Financial targets for NFSM- Coarse Cereal (Demonstrations on improved packages-Barley) (Assistant @ Rs. 2400/ acre for Rabi 2023-24)</b>							
Sr. No.	Distt.	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin ( Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin ( Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin ( Rs. in Lakhs)
1	Bhiwani	90	2.16	72	1.73	18	0.43
2	Hisar	102.5	2.46	82	1.97	20.5	0.49
3	Jhajjar	50	1.20	40	0.96	10	0.24
4	Rohtak	50	1.20	40	0.96	10	0.24
5	Sirsa	60	1.44	48	1.15	12	0.29
6	Panchkula	50	1.20	40	0.96	10	0.24
7	Ch.Dadri	60	1.44	48	1.15	12	0.29
	<b>Total</b>	<b>462.5</b>	<b>11.10</b>	<b>370</b>	<b>8.88</b>	<b>92.5</b>	<b>2.22</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के भिवानी, हिसार, झज्जर रोहतक, सिरसा, पंचकूला तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में जौ के बीज में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में एवं 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (25-12-2023) तक कर सकते हैं।

जौ के बीज वितरण में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से कम किस्मों) पर रू0 3000/- क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Distribution of Certified seed of Barley:- (HYV's of Barley less than 10 year)**

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Coarse Cereal Distribution of HYVs Seed- Barley (Less than 10 year) (Assistant @ Rs. 3000/- Qtls. for Rabi 2023-24)							
Sr. No.	Distt.	Total		General Category		SC Category	
		Phy(in qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy(in qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy(in qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)
1	Bhiwani	30	0.90	24	0.72	6	0.18
2	Hisar	40	1.20	32	0.96	8	0.24
3	Jhajjar	20	0.60	16	0.48	4	0.12
4	Rohtak	20	0.60	16	0.48	4	0.12
5	Sirsa	30	0.90	24	0.72	6	0.18
6	Panchkula	10	0.30	8.0	0.24	2	0.06
7	Ch.Dadri	10	0.30	8.0	0.24	2	0.06
	<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>4.80</b>	<b>128</b>	<b>3.84</b>	<b>32</b>	<b>0.96</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान कृषि में उपयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, हिसार, झज्जर रोहतक, सिरसा, पंचकूला तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में जौ के बीज में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में एवं 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (25-12-2023) तक कर सकते हैं।

जौ के बीज वितरण में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से अधिक की किस्मों) पर रू0 1500/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Distribution of Certified seed of Barley (HYV's of Barley More than 10 year)**

<b>District Wise Physical &amp; Financial targets for NFSM- Coarse Cereal Distribution of HYVs Seed Barley (More than 10 year) (Assistant @ Rs. 1500/- Qtl.) for Rabi 2023-24.</b>							
Sr. No.	Distt.	Total		General Category		SC Category	
		Phy(in qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy(in qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy(in qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)
1	Bhiwani	10	0.15	8	0.12	2	0.03
2	Hisar	10	0.15	8	0.12	2	0.03
3	Jhajjar	10	0.15	8	0.12	2	0.03
4	Rohtak	10	0.15	8	0.12	2	0.03
5	Sirsa	10	0.15	8	0.12	2	0.03
6	Panchkula	10	0.15	8	0.12	2	0.03
7	Ch.Dadri	10	0.15	8	0.12	2	0.03
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>1.05</b>	<b>56</b>	<b>0.84</b>	<b>14</b>	<b>0.21</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान कृषि में उपयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाजस्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला,रोहतक,भिवानी, सिरसा हिसार, झज्जर, तथा चरखी दादरी (7 जिलों ) में पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन– सुक्ष्म तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-02-2024) कर सकते हैं।

पौध एवं मृदा संरक्षण प्रबंधन– सुक्ष्म तत्व पर रू0 200/ एकड सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Plant and Soil Protection Management (Micronutrient)**

<b>District wise physical and financial target of distribution of Micronutrient for Rabi 2023-24</b> (Assistance @ Rs. 200/- acre)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin ( Rs. in Lakhs)	Phy (in acre.)	Fin ( Rs. in Lakhs)	Phy (in acre.)	Fin ( Rs. in Lakhs)
1	Panchkula	319.5	0.639	255.6	0.511	63.9	0.128
2	Rohtak	200	0.400	160.0	0.320	40	0.080
3	Sirsa	225	0.450	180.0	0.360	45	0.090
4	Hisar	200	0.400	160.0	0.320	40	0.080
5	Jhajjar	225	0.450	180.0	0.360	45	0.090
6	Ch.Dadri	200	0.400	160.0	0.320	40	0.080
7	Bhiwani	150	0.300	120.0	0.240	30	0.060
	<b>Total</b>	<b>1519.5</b>	<b>3.039</b>	<b>1215.6</b>	<b>2.431</b>	<b>303.9</b>	<b>0.608</b>

**विशेष दिशा निर्देश:-**

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/[उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।